(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 10-3/2011-यू.3 (ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिल्ली: 5 फरवरी, 2016

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुंबई को उसकी निम्नलिखित 10 घटक इकाइयों सहित दिनांक 03.06.2005 की अधिसूचना संख्या एफ 9-5/2004-यू.3 के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया था:-

i. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुंबई
ii. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), कलापक्कम
iii. उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएटी), इंदौर
iv. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोटॉन केन्द्र (वीईसीसी), कोलकाता
v. साहा परमाणु भौतिकी संस्थान (एसआईएनपी), कोलकाता
vi. प्लाजमा अनुसंधान संस्थान (आईपीआर), गांधीनगर
vii. भौतिकी संस्थान (आईओपी), भुवनेश्वर
viii. हरीशचंद्रा अनुसंधान संस्थान (एचआरआई), इलाहबाद
ix. टाटा मेमोरियल केन्द्र (टीएमसी), मुंबई और
x. गणित विज्ञान संस्थान (आईएमएस), चेन्नै

संजय

3. और जबकि, सम-विश्वविद्यालय संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (एनआईएसईआर) नामक एक बाह्य परिसर (ऑफ कैम्पस) की स्थापना के लिए वर्ष 2010 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 और इसमें किए गए संशोधनों के प्रावधानों के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति की सहायता से प्रस्ताव की जांच की गई है।

5. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 4 फरवरी, 2016 के अपने पत्र 1-1/2016 (सीपीपी-1/डीयू) के तहत राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर को होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के बाह्य परिसर केन्द्र के रूप में घोषित करने हेतु आयोग का अनुमोदन प्रदान किया है बशर्ते, मंत्रालय वर्ष 2014 और 2015 में यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के खंड 12.03क के संशोधनों से सहमत हो, जो उन समवत विश्वविद्यालयों, जिन्हें सरकार द्वारा स्थापित और उनका प्रबंधन किया जाता है, के 06 बाह्य परिसरों के प्रतिबंधन पर ढील प्रदान करते हैं।

6. और जैसाकि, मंत्रालय ने वर्ष 2014 एवं 2015 में यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के खंड 12.03क में किए गए संशोधनों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

7. इसलिए, केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर शैक्षिक पाठ्यचर्या/कार्यक्रमों के संचालन और उससे जुड़ी शर्तों हेतु उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, भावी प्रभाव से होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) को **भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर) नामक बाह्य परिसर शुरू किए जाने के लिए** एतदद्वारा अपना अनुमोदन प्रदान करती है। यह अनुमोदन यूजीसी द्वारा बाह्य परिसर की पहले 06 वर्षों तक द्विवार्षिक और तत्पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा किए जाने के अध्यधीन होगा जो वर्ष 2014 और 2015 में यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के तहत निर्धारित सामन्य निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

8. उपर्युक्त पैरा 7 में की गई घोषणा पुन: इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों के निर्वहन के अधीन होगी।

राकेश रंजन

(राकेश रंजन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रैस,
फरीदाबाद - 121001
हरियाणा
प्रतिलिपि:

1. सचिव, यूजीसी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. यूजीसी इस प्रकार की 'समीक्षा' के लिए उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवश्यक समीक्षा करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी।

2. सचिव, अणु ऊर्जा विभाग, अणु शक्ति भवन, सी.एस.एम. मार्ग, मुंबई - 400001.

3. प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर, ओडिशा

4. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर, ओडिशा

5. कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुंबई, महाराष्ट्र। पैरा 7 में अधिसूचित घोषणा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी:-

   (i) इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 9-5/2004-यू.3 दिनांक 3.6.2005 में निर्धारित सभी पहले वाली शर्तों जो होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुम्बई को प्रदान किए गए समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को अधिशासित करती है, वह लागू रहेगी और उनका अनुपालन किया जाएगा।

   (ii) एनआईएसईआर, भुवनेश्वर के प्रबंधन के साथ-साथ इसकी सभी चल तथा अचल परिसंपत्ति वैधानिक रूप से होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुम्बई में निहित होंगी और छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के हित में इस प्रकार से पंजीकृत की जाएंगी।

   (iii) सम विश्वविद्याय संस्थान/या इसके किसी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना विचलन नहीं होगा। संलग्न

   (iv) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुम्बई किसी ऐसे कार्यकलापों में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने की प्रकृति के हों।

   (v) एनआईएसईआर, भुवनेश्वर द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी एवं संबंधित सांविधिक परिषद/निकाय द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदंडों के अनुरूप होंगे।

   (vi) एनआईएसईआर, भुवनेश्वर यूजीसी द्वारा संबंधित विषय पर समय-समय पर जारी मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार नए शैक्षिक पाठ्यक्रमों को शुरू करेगा।

   (vii) एनआईएसईआर, भुवनेश्वर में छात्रों को इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात ही दाखिल किया जाएगा।

   (viii) एनआईएसईआर, भुवनेश्वर में शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले अवसंरचना सुविधाओं को उपयुक्त रूप से तैयार और विकसित किया जाएगा।

(ix) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुंबई अपनी घटक इकाइयों में अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

(x) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) मुंबई, एनआईएसईआर, भुवनेश्वर सहित अपनी सभी घटक इकाइयों के सभी उपयुक्त शैक्षिक पाठ्यचर्याओं/कार्यक्रमों को यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं), विनियम, 2010 और तदोपरांत 2014 और 2015 में हुए संशोधनों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा निर्धारित, जैसा भी मामला हो, वैध प्रत्यायन प्राप्त करने संबंधी सभी कार्रवाई करेगा।

(xi) छात्रों के प्रवेश, छात्रों की दाखिल क्षमता, शैक्षिक पाठ्यचर्या/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीकरण, छात्रों की दाखिला क्षमता में संशोधन, नई पाठ्यचर्याओं/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि मामलों से संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानक और मापदंड प्रभावी रहेंगे और होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुम्बई द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

(xii) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), मुम्बई यूजीसी के अनुमोदन से अपने संगम ज्ञापन/नियमावली को अद्यतन या संशोधित अथवा परिशोधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार या यूजीसी द्वारा सुझाव गए विशिष्ट परिवर्तन/संशाधनों यदि कोई हों, को भी भारत सरकार या यूजीसी के अनुमोदन से संगम ज्ञापन/नियमावली से शामिल किया जाएगा।

(xiii) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) मुंबई के संगम ज्ञापन/नियमावली, विनियम, उप-नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इनके सभी घटक एककों के नाम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट/दर्शाए जाएगें।

(xiv) एचबीएनआई, मुंबई यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 और समय-समय पर इसमें किए संशोधनों में निहित शर्तों का अनुपालन करेगा।

(xv) एचबीएनआई, मुंबई यूजीसी की नियमावली तथा विनियमों के अनुसार फीस ढांचे का पालन करेगा।

(xvi) यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों, जो समवत विश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित संस्थाओं पर लागू हैं, का एनआईएसईआर, भुवनेश्वर और इसकी घटक इकाइयों/बाह्य परिसर केन्द्र(द्रों)/ स्थलीय परिसर(रों) द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

6. प्रेस सूचना ब्यूरों, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.

7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाऊस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.

8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

9. फाइल संख्या एफ.10-3/2011/यू.3(ए).

10. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)
निदेशक

सी. एम. आई. एस. (औ. प्र)
29.02.2016